



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02082022-237812
CG-DL-E-02082022-237812

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3438]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 1, 2022/श्रावण 10, 1944

No. 3438]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 1, 2022/SHRAVANA 10, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अगस्त, 2022

का.आ. 3603(अ).—केंद्रीय सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 क की उपधारा (1) के आधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.2482 (अ) तारीख 31/05/2022 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II खंड-3, उपखण्ड (ii) तारीख 10/01/2022 में प्रकाशित की गई थी, वृद्धा महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 के 205.400 कि.मी.से 241.300 किमी (पेढे पशुराम सेक्शन) तक के भूखण्ड के निर्माण (चार लेन का बनाने/चौड़ा करने), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3 क की उपधारा (3) के आधीन 12/06/2022 तारीख को "दैनिक सागर" और 13/06/2022 तारीख को "दैनिक रत्नभूमी वृत्तपत्र" में प्रकाशित किया गया था;

और सक्षम प्राधिकारी हो किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुआ है;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतःअब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उपधारा (1) व्दारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पुर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि, सभी विल्लगमो से मुक्त हो कर आत्यान्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले मे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 के 205.400 कि.मी. से 241.300 कि.मी. तक के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: महाराष्ट्र		जिले का नाम: रत्नागिरी			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: चिपळूण				
	गांव का नाम: सावर्डे				
1	2592 Part	निजी	अकृषिक	0.0187	चंद्रशेखर काशीनाथ घाग, विलास काशीनाथ घाग, अनिकेत चंद्रमोहन घाग (2592 पार्ट)
			कुल	0.0187	

[फा. सं. RW/NH-37014/20/2013-NHDP-IV A/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st August, 2022

S.O. 3603(E).—whereas by the notification of the Government of india in the Ministry of Road Transport and Highways. number S.O. 2482 (A) 31/05/2022 published in Gazette of india, Extraordinay, prat II, section 3, sub- section (ii) issued under sub-section (i) of sectin 3A of the National highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act). The central Government declared its intension to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for building (widening / four – laning etc.) maintenance management and operation of National highway No.66 on the stretch of land from Km. 205.400 to Km. 241.300. in District Of Ratnagiri in the state of Maharashtra.

And whereas the substance of the said notification has been published in “Dainik Sagar” Dated 12/06/2022 and Dainik Ratnabhumi dated 13/06/2022; under sub- section (3) of section 3 A of the said Act;

And whereas objections have not been received from any person by the competent authority;

And whereas in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the central Government;

Now , therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the central Government hereby declares that the land specified in the said schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the central Government hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette, the land specified in the said schedule shall vest absolutely in the central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km. 205.400 to Km. 241.300 of the National Highway No.66 (Sub Divisional Office Chiplun) district of RATNAGIRI in the state of MAHARASHTRA.

State: MAHARASHTRA			District: RATNAGIRI		
Sl. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Chiplun				
	Village: Savarde				
1	2592 Part	Private	Non Agriculture	0.0187	Chandrashekhar Kashinath Ghag, Vilas Kashinath Ghag, Aniket Chandramohan Ghag 2592 Part
			TOTAL	0.0187	

[F. No. RW/NH-37014/20/2013-NHDP-IV A/3D]

RAJESH GUPTA, Director